रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1975/ज्येष्ठ 21, 1897
No. 155] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1975/JYAISTHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 11th June 1975

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Central Excise (8th Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2, in clause (ii) (A) :—

(a) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
"(i) in the Union territory of Delhi, the Collector of Central Excise, Delhi";

(b) after sub-clause (W), the following sub-clause shall be inserted, namely :—
"(x) in the State of Rajasthan, the Collector of Central Excise, Jaipur."

[No. 155/75]

S. D. MOHILE, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 11 जून, 1975

सा० का० नि० 328 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 2 में, खण्ड (ii) (क) में :—

(क) उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, दिल्ली";

(ख) उपखण्ड (व) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(भ) राजस्थान के राज्य में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जयपुर"।

[सं० 155/75]

स० द० गोहिले, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975